राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 8/2019/रे0वाद/ निर्णय दिनांक :– 15.07.2019

अनवान

1. श्री कजोड पिता लालु जी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द —————प्रार्थी

बनाम

1. श्री आसु पिता मोहन जी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री रामलाल पिता मोहन जी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री गोपीलाल पिता मोहन जी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्री पुनमचन्द पिता मोहन जी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. श्री अम्बालाल पिता मांगीलाल जी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. श्री पारस पिता मांगीलाल जी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. श्रीमति संतोकी पत्नि मांगीलाल जी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. श्रीमति कैलाशी पुत्री मांगीलाल जी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. श्री भागुलाल पिता दल्ला जी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. श्री मुला पिता भूरा जी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नीमझर तहसील देवगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज.ले.एक्ट

उपस्थित :– 01. श्री उम्मेद गर्ग

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम नीमझर पटवार हल्का कालेसरिया तहसील देवगढ़ में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित हैं जिसके खाता नम्बर 8 आराजी नम्बर 540 रकबा 0.09 आराजी नम्बर 541 रकबा 0.05 आराजी नम्बर 539/2 रकबा 0.05 आराजी नम्बर 573 रकबा 1.11 आराजी नम्बर 572/1 रकबा 0.18 आराजी नम्बर 571 रकबा 0.17 कुल ति 6 रकबा 4.05 बीद्या हैं। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी होकर प्रार्थी का कब्जा कास्त हैं एवं इसका उपयोग – उपभोग भी प्रार्थी ने ही कर रखा हैं। प्रार्थी उक्त भूमि पर निर्वाध रूप से कास्त करता चला आ रहा हैं किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि क चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की भूमि से लगते हुऐ पडौसी हैं हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमों के लिये विवश होना पडता हैं। मौके पर अशान्ति रहती हैं जिससे प्रार्थी अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक कास्त भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि को अपना बनाकर नाजायज अतिक्रमण करने की मंशा रखता हैं एवं अनावश्यक विवाद पैदा करता हैं जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। भूमि की पत्थरगढी हो जाने पर सीमा संबंधी जो विवाद हैं वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी अपनी भूमि पर शान्तिपुर्वक काश्त कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगण को जारी सम्मन तामील हो जाने पर भी कोई जबाब पेश नहीं किया बल्कि बावजूद तामील के अनुपस्थित रहे। विपक्षीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई हैं। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं। कभी प्रार्थी की भूमि को हांक लेते हैं कभी घास फसल वगैरह काट लेते हैं। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी हो जाती हैं तो सीमा संबंधी जो विवाद हैं वो हमेशा के

सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें तथा प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थगढी के आदेश प्रदान करावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम नीमझर पटवार हल्का कालेसरिया तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जात हैं तथा ग्राम नीमझर पटवार हल्का कालेसरिया तहसील देवगढ़ के खाता नम्बर खाता नम्बर 8 आराजी नम्बर 540 रकबा 0.09 आराजी नम्बर 541 रकबा 0.05 आराजी नम्बर 539/2 रकबा 0.05 आराजी नम्बर 573 रकबा 1.11 आराजी नम्बर 572/1 रकबा 0.18 आराजी नम्बर 571 रकबा 0.17 कुल किता 6 रकबा 4.05 बीद्या भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्र जारी करा मौके पर पत्थरगढी करा मौके परचा पेंश करें।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द